

164

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 607/17

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला जबलपुर

संतोष गौड़ पिता श्री जगतु गौड़
निवासी ग्राम 'नान्हाखेड़ा पोस्ट तिलवाराघाट
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

- 1- स्मिता यादव पुत्री श्री मुन्नालाल यादव
निवासी 192, ग्राम व पोस्ट बुन्सर तहसील पाटन,
जिला जबलपुर
- 2- श्री अमित यादव पिता श्री संजय यादव,
निवासी ग्राम घुन्सौर चरगवां मार्ग
तहसील व जिला जबलपुर
- 3- श्री अनिल चड्ढा पिता श्री सी.के. चड्ढा
निवासी 841, गुप्तेश्वर वार्ड, जबलपुर
- 4- श्री अजय यादव पिता स्व. श्री शोभाराम यादव,
निवासी 15 ग्राम घुन्सौर
तहसील व जिला जबलपुर
- 5- सुग्रीव पटेल पिता श्री करनलाल पटेल
निवासी म.नं. 83 ग्राम सिवनीटोला
पोस्ट तिलवाराघाट तहसील व जिला जबलपुर
- 6- श्रीमती संध्या पटेल पति श्री सुग्रीव पटेल
निवासी म.नं. 83 ग्राम सिवनीटोला
पोस्ट तिलवाराघाट तहसील व जिला जबलपुर
- 7- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

R/S

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदक को

दिनांक 8-2-17
का क्र. के.के.
द्वितीय क्रमांक
श्री अजय यादव
व
8-2-17

107
8-2-17
K. K. D. D. D.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 607-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण आवेदक संतोष गौड़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की कृषि भूमि स्थित मौजा नान्हाखेड़ा प.ह.नं. 26/36 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर खसरा नं. 47 एवं 84 का भाग रकबा 0.495 हैक्टर को एवं उक्त भूमि के शेष रकबा 1.485 हैक्टर को अनावेदकगण/गैर आदिम जनजाति के सदस्यों को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण दिनांक 14-02-17 के लिये नियत किया। आवेदक द्वारा दिनांक 16-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किये जाने पर कलेक्टर ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जानबूझकर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित</p>	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

3-
निगाह- 607, 5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>रखा जा रहा है । आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रेताओं से एडवांस भी प्राप्त ले लिया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा आवेदित भूमि खसरा नंबर 47 एवं 84 का अंश भाग रकबा 0.495 को पंजीकृत बैनामा से दिनांक 14-7-16 को कय किया है तथा उक्त खसरा नंबरों का शेष रकबे का अनुबंध उन्होंने सह भूमिस्वामियों से पूर्व में किया जाकर उसे भी पंजीकृत विक्रय से कय कर लिया है । उक्त भूमियों को कय करने हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 से कर्जा लिया गया है । यदि आवेदक को अनुमति नहीं दी गई तो हो सकता है अनावेदक द्वारा भूमि का सौदा निरस्त कर दिया जाये जिसके कारण आवेदक को आर्थिक क्षति होगी जो शासन द्वारा आदिम जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए बने कानूनों की मंशा के विपरीत होगा । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित भूमियां आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से कय की गई हैं, उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा प्रस्तावित क्रेताओं द्वारा उसे गाइड लाइन के मान से अधिक मूल्य दिया जा रहा है । भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा नान्हाखेड़ा प.ह.नं. 26/36 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 47 रकबा 1.76 हैक्टर एवं खसरा नं. 84 रकबा 0.22 कुल रकबा 1.98 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य</p>	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 607-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>अनावेदक क्रमांक - 1 लगायत 6 (प्रत्येक को 0.33 हेक्टर) को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेताओं द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा 	<p style="text-align: center;">  (एम0क0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर </p>

B
1/18